



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1261]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 2017/वैशाख 15, 1939

No. 1261]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 2017/VAISAKHA 15, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2017

का.आ. 1425(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 19 और 10 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

सारणी

(1)	(2)	(3)
“4.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2सी, सं. 19 [किमी 143.200 से किमी 207.200 (छपरा-हाजीपुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 28 [(किमी 365.570 से किमी 627.000 (मुजफ्फरपुर-पिपराकोठी से गोपालगंज-उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा और मुजफ्फरपुर से बरौनी) तक खंड को छोड़कर], सं. 28बी, सं. 30 [(किमी 181.300 से किमी 117.000 (पटना-बक्सर) और किमी 181.300 से किमी 231.950 (पटना-बख्तियारपुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 30ए,	बिहार राज्य सरकार”

	<p>सं. 31 [किमी 153.300 से किमी 447.000 (खगड़िया-बख्तियारपुर-पूर्णिया) और किमी 470.000 से किमी 476.150 (पूर्णिया से गैरकट्टा) तक खंड को छोड़कर], सं. 77 [(किमी 0.000 (रामाशीष चौक) से किमी 89.000 (हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सोनबरसा) तक खंड को छोड़कर], सं. 80 [किमी 1.430 से किमी 190.000 (मोकामा-मुंगेर-मिर्जाचौकी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 81, सं. 82 [किमी 119.320 से किमी 149.020 (बिहारशरीफ – बरबिगहा-मोकामा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 83 [(किमी 0.000 से किमी 127.000 (पटना-गया-डोभी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 84 [(किमी 0.000 से किमी 75.000 (पटना-बक्सर) तक खंड को छोड़कर], सं. 85 [(किमी 0.000 से किमी 94.700 (गोपालगंज-छपरा) तक खंड को छोड़कर], सं. 98, सं. 99, सं. 101, सं. 103, सं. 104, सं. 105, सं. 106, सं. 107, सं. 110, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 333 [रारा-33 (नई सं.) पर बरियारपुर से प्रारंभ होकर खडगपुर, लक्ष्मीपुर, जमुई, चकई को जोड़ने वाला राजमार्ग], नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 327 विस्तार, [रारा सं-327 (नई सं.) (पश्चिम बंगाल/बिहार) पर गलगलिया से प्रारंभ होकर ठाकुरगंज, बहादुरगंज, अररिया, रानीगंज, भरगामा, त्रिवेणीगंज, पिपरा, सुपौल को जोड़ने वाला और रारा-231 (नई सं.) पर बतगांव (बरियाही बाजार) में समाप्त होने वाला राजमार्ग]], नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 131ए [पश्चिम बंगाल राज्य में मालदा से शुरू होने वाला तथा रतुआ और देवीपुर को जोड़ने वाला, रारा-31 पर आमदाबाद, मनिहारी, कटिहार को जोड़ने वाला और रारा-27 (नई सं.) पर पूर्णिया पर समाप्त होने वाला राजमार्ग]], नई रारा सं. 120, नई रारा सं. 122ए, नई रारा सं. 133, नई रारा सं. 133बी, नई रारा सं. 219, नई रारा सं. 227ए, नई रारा सं. 327ए, नई रारा सं. 333ए, नई रारा सं. 333बी, नई रारा सं. 527ए और नई रारा सं. 727ए के उतने भाग जो बिहार राज्य में अवस्थित हैं।</p>	
"10"	<p>राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 23 [किमी 0.000 से किमी 81.200 (चास - रामगढ़ खंड) और किमी 2.90 से किमी 88.000 (रांची - गुमला खंड) को छोड़कर], सं. 31, सं. 33 [किमी 0.000 से किमी 333.500 तक (बरही-हजारीबाग-रांची-जमशेदपुर-महुलिया-बहरागोरा) खंड को छोड़कर], सं. 75 [किमी 0.00 से किमी 259.00 तक (रांची-नगर उतरी खंड) को छोड़कर], सं. 75 का विस्तार, सं. 78, सं. 80 सं. 98, सं. 99, सं. 100, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 114ए, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 133, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 43, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 133ए, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 143ए, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 220, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 133बी, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 333, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 333ए, नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 343 और नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 419 के उतने भाग जो झारखंड राज्य में अवस्थित हैं।</p>	झारखंड राज्य सरकार"

[फा. सं. एनएच-14013/5/2016-पी एंड एम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096(अ), दिनांकित 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 1017(अ), दिनांकित 28 मार्च, 2017 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2017

S.O. 1425(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 19 and 10 the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:

TABLE

(1)	(2)	(3)
“4	So much of National Highways No.2C, No. 19[excluding from Km.143.200 to Km.207.200 (Chhapara-Hajipur)], No.28 [excluding from Km. 365.570 to Km. 627.000 (from Muzaffarpur-Piprakothi to Gopalganj-Uttar Pradesh/Bihar Border and Muzaffarpur to Barauni)], No. 28B, No. 30[excluding from Km.181.300 to Km.117.000 (Patna-Buxar) and from Km.181.300 to Km.231.950 (Patna-Bakhtiyarpur)], No.30A, No. 31 [excluding from km.153.300 to Km. 447.000 (Khagaria-Bakhtiyarpur-Purnea) and Km. 470.000 to Km. 476.150 (Purnea to Goyerkata)], No.77 [excluding from km.0.000 (Ramashish Chowk) to km. 89.000 (from Hajipur-Muzaffarpur-Sonbarsa)], No. 80 [excluding from km.1.430 to km.190.000 (Mokama-Munger-Mirzachowki Section) , No.81, No.82 [excluding from Km. 119.320 to Km. 149.020 (Biharsharif-Barbigha-Mokama section)], No.83 [excluding from km. 0.000 to km. 127.000 (Patna-Gaya-Dobhi section)], No.84[excluding from Km. 0.000 to 75.000 (Patna-Buxar)], No.85[excluding from km.0.000 to km.94.700(from Gopalganj-Chhapra)], No.98, No. 99, No.101, No.103, No.104, No.105, No.106, No.107, No.110, new National Highway number 333 [the highway starting from Bariyarpur on NH-33 (new number) connecting Kharagpur, Laxmipur, Jamui, Chakai], new National Highway number 327 Extension [the highway starting from Galgalia on NH-327 (new number) (West Bengal/Bihar) connecting Thakurganj, Bahadurganj, Araria, Raniganj, Bhargama, Tribeniganj, Pipra, Supaul and terminating at (Bariyahi Bazar) Bangaon on NH-231 (new number)], new National Highway number 131 A [the Highway starting from Malda, connecting Ratua and Debipur in the State of West Bengal, connecting Amdabad, Manihari, Katihar on NH-31 and terminating at Purnia on NH-27 (new number)], new NH No. 120, new NH No. 122A, new NH No. 133, new NH No. 133B, new NH No. 219, new NH No. 227A, new NH No. 327A, new NH No. 333A, new NH No. 333B, new NH No. 527A and new NH No. 727A as are situated within the State of Bihar.	State Government of Bihar”
“10	So much of National Highways No.23 [excluding from km. 0.000 to km. 81.200 (Chas-Ramgarh section) and from km 2.90 to km 88.000 (Ranchi-Gumla Section)] No.31, No.33 [excluding from Km. 0.000 to km. 333.500 (Barhi-Hazaribagh-Ranchi-Jamshedpur-Mahulia-Bahragora)], No.75 [excluding from km 0.00 to km 259.00 (Ranchi-Nagar Utari Section)] Extension of No.75, No.78, No.80, No.98, No.99, No.100, new National Highway No.114A, new National Highway No.133, new National Highway No. 43, new National Highway No. 133A, new National Highway No. 143A, new National Highway No. 220, new National Highway No. 133B, new National Highway No.333, new National Highway No. 333A, new National Highway No.343 and new National Highway No. 419 as are situated within the State of Jharkhand.	State Government of Jharkhand”

[F. No. NH-14013/5/2016-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note : The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1017(E), dated the 28th, March, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2017

का.आ. 1426(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथानिर्दिष्ट खंड के अनुसार उक्त सारणी के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि के अनुसार यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:—

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	लंबाई किमी में
(1)	(2)	(3)
80	मुंगेर से मिर्जाचौकी खंड (बिहार राज्य में)	किमी 65.00 से किमी 190.000
75	रांची से नगर उतरी खंड (झारखंड राज्य में)	किमी 00.00 से किमी 259.000
23	रांची से गुमला खंड (झारखंड राज्य में)	किमी 2.90 से किमी 88.000

[फा.सं. एनएच-14013/5/2016-पी एंड एम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2017

S.O. 1426(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of National Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:—

TABLE

National Highway No.	Section of National Highway	Stretch in Kilometers
(1)	(2)	(3)
80	Munger to Mirzachowki Section (In the State of Bihar)	Km 65.00 to Km. 190.000
75	Ranchi to Nagar Utari Section (In the State of Jharkhand)	Km 00.00 to Km. 259.000
23	Ranchi to Gumla Section (In the State of Jharkhand)	Km 2.90 to Km. 88.000

[F. No. NH-14013/5/2016-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)